THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : (a) and (b) To facilitate coordination among banks themselves and among the banks and the district agencies, the Lead Banks have to constitute District Consultative Committees for their lead districts. The Deputy Commissioner/ District Collector/District Magistrate is the Chairman District Consultative Committee; the lead bank the convenor and the financial agencies operating in the district and the Government agencies are its members. The State Governments have been further advised in August, 1983 to set up a subgroup consisting of Lead District Officer, District Planning Officer, Lead Bank Officer and one ortwo representatives of farmers Cooperatives/dairy farmers' cooperatives, small industries association, associations of the cooperatives of artisans and craftsmen etc. along with one or two non-officials to be nominated by the State Government.

(c) The State Governments were advised in August, 1983 to set up advisery Committees at the block level with a view to help in the identification of the beneficiaries of IRDP and also to assist the nationalised banks in the proper implementation of IRDP. For block level committees following composition was suggested :—

(i) Chairman of the Block Panchayat Samiti.

(ii) Block Development Officer.

(iii) Branch Manager of the nationalised bank which has the lead responsibility in the district. If the lead bank has no branch in the block, then the manager of the nationalised bank in the block who is the senior-most, will be included in the Committee.

(iv) Three non-official members to be nominated by the State Government. These persons should have knowledge or rather practical experience in respect of agriculture. rural economy, cooperation, small scale industry or any other matter, the special knowledge and practical experience of which would be useful.

(v) Local M.L.A. (s)

Non-Availability of Bandrols for Card Boardmatch Boxes in Madurai Division

939. SHRI K. T. KOSALRAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the clearance of card board match boxes without bandrols has been permitted in Madurai Division on the ground of non-availability of bandrols, while 2,00,000 bundles of red bandrols used in card board match boxes are available in Sattur, Koilpatti and Sivakasi Treasuries respectively and a stock of two lakh bundles of bandrols in Nasik Press ; and

(b) if so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S. M. KRISHNA) : (a) The clearance of all varieties of match boxes without affixing Central Excise Stamps has been allowed in the jurisdiction of Central Excise Collectorate Madurai, on account of shortage of these stamps. The information available does not indicate the availability of 2 lakh bundles of red Central Excise stamps with the Sattur, Koilpatti and Sivakasi treasuries. The Nasik Prese is reported to have no stock of red Central Excise stamps in the month of July.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

जुलाई, 1984 में तस्करों के घरों पर छापे

940. श्री मूल चन्द डागा :
श्री जयपाल सिंह कश्यप :
प्रो० मधु दण्डवते :
श्री नर सिंह मकवाना :
श्री पी.के. कोडियन :
श्री दौलत राम सारण :
श्री जगपाल सिंह :
श्री पीयूष तिरकी :
श्री छीतू भाई गामित :
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1984 को कितने तस्करों के घरों पर छापा मारा गया था ;

(ख) उनसे बरामद दस्तावेजों और माल का ब्यौरा क्या है, कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये और उन तस्करों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही चलायी गयी है ; और

(ग) प्रत्येक तस्कर से तस्करी का कितना माल बरामद हुआ और अभी इस प्रकार का कितना माल बरामद किया जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) तस्करी-निवारण अभियान को तेज करने के अंग-रूप में वित्त मंत्रालय के राजस्व गुप्त-सूचना निदेशालय ने दिनांक 1-7-1984 को तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने की एक योजना तैयार की तथा उसे कार्यान्वित किया। इस कार्यवाही में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 115 तस्कर पकड़े गए। जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के तहत नजरबन्द किया गया। इन तस्करों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द किए गए विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले 9 व्यक्ति शामिल नहीं है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबन्द किए गए तस्करों से अभिगृहीत माल के ब्यौरे से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी नजरबन्द व्यक्ति/ व्यक्तियों-विशेष के संबंध में जानकारी चाहें तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

पूर्ति मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/सतर्कता मामले

941. **मूल चन्द डागा** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1983 को अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाही करने के लिए जिन मामलों पर विचार किया जा रहा था, उनमें 38 राजपत्रित अधिकारियों और 44 अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक मामला कब से लम्बित है ;

(ग) उपरोक्त राजपत्रित और अराजपत्रित व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति निलम्बित हैं, और वे किस सेवाओं के हैं और वे कितने समय से निलम्बित हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

राजपत्रित कुल = 38	अराजपत्रित कुल = 44
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली = 35	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय = 21
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय =	मुख्य लेखा नियंत्रक = 17
राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता = 3	राष्ट्रीय परीक्षण शाला = 6